न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश दारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 123 / 2019

अनवान

1 सुरजभान पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादी

बनाम

1 बृजमोहन पुत्र मनफुल जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

2 देवकी पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

3 रोहताशकुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

4 बिमला पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा। — प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणाात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट : वादी

श्री सुरेन्द्र मील एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनाक : 11-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा श्योराटाडा के खाता सं0 29 के खसरा सं0 18 की 0.443 हैक्टेयर खसरा सं0 23 की 6.475 हैक्टैयर, खसरा सं0 40 की 4.097 हैक्टैयर खसरा सं0 66 की 0.733 हैक्टैयर खसरा सं0 261 की 13.595 हैक्टैयर कुल किता 5 की 25.343 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम [illegible] हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। [illegible] के दादा मनफुल की खातेदारी हुआ करती थी। [illegible] का भी प्रतिवादीगण के साथ वादभूमि मे जन्म से हक अधिकार है। उक्त वादभूमि के बाबत वादी एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया जिसमे वादभूमि वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई परन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपनी तरफ से जवाबदावा पेश किया एंव वादी के दावा का अपने जवाबदावा मे कोई खण्डन पेश नही किया तथा प्रतिवादी सं0 4 ने वादी के दावा को स्वीकार करते हुये इकबालदावा पेश किया । जिस पर पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 सुरजभान के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 प्रदर्श 1 एंव अपने दादा मनफुल के समय की जमाबन्दी प्रदर्श 2 तथा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र को अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाया। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरानत बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का जन्म से हक एंव अधिकार है। वादी के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादी डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित [illegible] प्रमाण पत्र के आधार पर वादी प्रतिवादी बृजलाल [illegible] तथा प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी बृजल[illegible] बृजलाल का पुत्र है एंव प्रतिवादी सं0 4 प्रतिवादी बृजलाल की पत्नी है। इनके अलावा प्रतिवादी बृजलाल के अन्य कोई पुत्र पुत्री या पत्नी नही है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने मे सफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

सुरजभान बनाम बृजमोहन आदि

अत : वाद वादी डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा श्योराटाडा के खाता सं0 29 के खसरा सं0 18 की 0.443 हैक्टेयर खसरा सं0 23 की 6.475 हैक्टैयर, खसरा सं0 40 की 4.097 हैक्टैयर खसरा सं0 66 की 0.733 हैक्टैयर खसरा सं0 261 की 13.595 हैक्टैयर कुल किता 5 की 25.343 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के नाम से जो 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, उसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि वादभूमि बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक ....11-3-2023.......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 173 / 2019

अनवान

सुरजभान पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – वादी

बनाम

1 बृजमोहन पुत्र मनफुल जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

2 देवकी पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।

3 रोहताशकुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा त.भादरा।

4 बिमला पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा श्योराटाडा के खाता सं0 29 के खसरा सं0 18 की 0.443 हैक्टेयर खसरा सं0 23 की 6.475 हैक्टैयर, खसरा सं0 40 की 4.097 हैक्टैयर खसरा सं0 66 की 0.733 हैक्टैयर खसरा सं0 261 की 13.595 हैक्टैयर कुल किता 5 की 25.343 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के नाम से जो 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, उसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बृजलाल के नाम से दर्ज है, उसे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

आर ए एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner